

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-मा/बजट/बी-3/25221/2022-23/173

दिनांक- 10.02.2023

कार्यालय-आदेश

शासन के पत्रांक प.17(247) माध्य/शिक्षा-2/विप्र/2018 जयपुर दिनांक 07.02.2023 की पालना में एस.बी.सिविल अवमानना याचिका सं0 1383/2019 श्रीमती जानकी देवी सूद व 01 अन्य बनाम आर. वैकटेश्वरन व अन्य में (अन्तर्गत एस. बी. सी. याचिका संख्या 11384/2018 में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2018 की पालना में श्री गौरीशंकर शर्मा को निम्नानुसार भुगतान Pool मद से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	बजट मद	राशि	विवरण
1.	2202-02-101-01-00-01-SF	64598/-	वेतन एरियर राशि
2.	2071-01-115-01-01-SF	11294/-	अवकाश नकदीकरण एरियर
	योग :-	75892/-	

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति आई0डी0 संख्या 102300131 दिनांक 01.02.2023 के क्रम में जारी की गई है अतः राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावे।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 10.02.2023

क्रमांक:- शिविरा-मा/बजट/बी-3/25221/2022-23/173

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर को शासन का प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.02.2023 की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि अवकाश नकदीकरण एरियर हेतु बजट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावे।
- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक विधि जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि भुगतान की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावे।
- अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को उनकी अनौ. टिप्पणी शिविरा/मा/विधि/बी-2/जय/29819 /एच/18 दिनांक 09.02.2023 की पालना में।

सत्यमेव जयते

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/बजट/बी-3/25221/2022-23/174

दिनांक-10.02.2023

कार्यालय-आदेश

शासन के पत्रांक प.17(247) माध्य/शिक्षा-2/विप्र/2018 जयपुर दिनांक 07.02.2023 की पालना में एस.बी.सिविल अवमानना याचिका सं0 1383/2019 श्रीमती जानकी देवी सूद व 01 अन्य बनाग आर. वैकटेश्वरन व अन्य में (अन्तर्गत एस. बी. सी. याचिका संख्या 11384/2018 में पारित निर्णय दिनांक 24.05.2018 की पालना में श्री गौरीशंकर शर्मा को निम्नानुसार भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बजट मद	राशि	विवरण
1	2071-01-101-01-00-SF	886658/-	पेंशन एरियर राशि
2	2071-01-104-01-00-SF	36069/-	उपादान एरियर
	योग :-	922727/-	

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति आई0डी0 संख्या 102300131 दिनांक 01.02.2023 के क्रम में जारी की गई है अतः राज्य सरकार की स्वीकृति अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावें।



वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 10.02.2023

क्रमांक:- शिविरा-मा/बजट/बी-3/25221/2022-23/174

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर को शासन का प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.02.2023 की प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि भुगतान की कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक विधि जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि भुगतान की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावें।
4. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग को उनकी अनौ. टिप्पणी शिविरा/मा/विधि/बी-2/जय/29819/एच/18 दिनांक 09.02.2023 की पालना में।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर